

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 512/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस एम ई सी सी जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल,
जयपुर

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स सौम्या फैशन प्रोपराईटर श्रीमती रिचा अजमेरा पत्नी श्री मनीष अजमेरा
2. पता-दुकान नं. 17, कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ।
3. श्रीमती रिचा अजमेरा पत्नी श्री मनीष अजमेरा
पता- प्लॉट नं. 65a, सूयानगर, महवि मार्ग, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर
(2) 39-पदमावती कालोनी, किंग्स रोड, जयपुर ।

अप्रार्थी

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002

समस्थित :-

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 18.02.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.10.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स सौम्या फैशन की दुकान नं. 17, कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर पर स्थित चल सम्पत्ति एन्टायर स्टॉक ऑफ फिनिशड गुड्स, स्टोर एण्ड स्पेयर, स्टॉक इन ट्रांजिट, सन्डरी डेबिट्स बुक-डेबिट, रिसीवेबल एण्ड अदर करन्ट एसेट्स आदि को हाईपोथीकेटेड कर कुल राशि 11,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 11,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित चल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 11,21,337/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को 02.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स सौम्या फैशन की दुकान नं. 17, कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर पर स्थित चल सम्पत्ति एन्टायर स्टॉक ऑफ फिनिशड गुड्स, स्टोर एण्ड स्पेयर, स्टॉक इन ट्रांजिट, सन्डरी डेबिट्स बुक-डेबिट, रिसीवेबल एण्ड अदर करन्ट एसेट्स आदि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त बंधक सम्पत्ति का प्रार्थी बैंक को कब्जा प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को कब्जा दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



18/2/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर